

न्यायालय नायब तहसीलदार..... वृत्त जिला

..... (म.प्र.)

रा0प्र0क्र0/00..../अ-27/2025-26

ग्राम- प0ह0नं0

रा0नि0मं0 तह0

1-..... बेवा जाति

2- पिता जाति निवासी ग्राम तह0 जिला

.....आवेदक

विरुद्ध

1- पिता जाति वगै. निवासी ग्राम तह0 जिला

.....अनावेदक

(आदेश पारित दिनांक (/...../2026)

अन्तर्गत धारा म.प्र.भू.रा.सं 1959

----00----

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक निवासी
थाना तह0 जिला के द्वारा ग्राम प0ह0नं0 रा0नि0मं0
..... तह0 जिला में स्थित आवेदक एवं अनावेदकगणों के नाम शामिल शरीक
दर्ज भूमि **खसरा नं0** **रकबा** हे0 कुल रकबाहे0 भूमि का बंटवारा उभयपक्षों
के मध्य किये जाने हेतु आवेदन म0प्र0भू0रा0स0 1959 की धारा 178 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा
आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, खसरा, किस्तबंदी नकल, ऋणपुस्तिका की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति
आदि दस्तावेज प्रस्तुत किया है ।

प्रकरण मद अ-27 में दर्ज किया जाकर विधिवत इशतेहार का प्रकाशन कराया गया। इशतेहार उपरांत नियत समय
पर कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्रकरण में समस्त सहखातेदारों आवेदक/अनावेदकगणों को नोटिस जारी कर समक्ष उपस्थित कराया गया । प्रकरण
में समस्त सहखातेदारों द्वारा उक्त बंटवारा किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं कोई आपत्ति नहीं होने पर
सयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये प्रकरण सलग्न है ।

तत्पश्चात प्रकरण में हल्का पटवारी से फर्द बंटवारा रिपोर्ट बुलायी गयी। ह0प0 द्वारा निर्धारित प्रपत्र
में प्रस्तुत फर्द बंटवारा प्रतिवेदन, पंचनामा एवं नक्शा प्रस्तुत किया गया। ह0प0 प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि ग्राम
..... प0ह0नं0 स्थित **ख0नं0** **रकबा** **कुल रकबा** हे0 भूमि वर्तमान
राजस्व अभिलेख में सहखातेदार, के नाम से शामिल शरीक के रूप में
दर्ज है। मौके पर आवेदक अनावेदक के द्वारा उपस्थितजनो के समक्ष बताया गया कि उनके द्वारा आवेदित भूमि

का बंटवारा अपनी आपसी सहमति से पारिवारिक व्यवस्थानुसार जमीन की किस्म एवं गुणवत्ता के अनुसार मौके पर बताये एवं कब्जा अनुसार व अनावेदकगणों के मध्य आवेदित प्रस्तावित फर्द बटान एवं प्रस्तावित फर्द नक्शा तैयार किया गया । आवेदको का आवेदित भूमियो में कब्जा देखा गया तथा कब्जा की पुष्टि ग्राम कोटवार एवं उपस्थितजनों के द्वारा की गई। ह0प0 प्रतिवेदन अनुसार उक्त बंटवारा आवेदकगण/सहखातेदारों के मध्य कराना चाहते है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः मौके पर सहखातेदारों की आपसी सहमति से निर्धारित प्रपत्र में फर्द बंटवारा तैयार किया गया है। जिसमें उनके द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। ग्राम प0ह0न0 स्थित ख0न0 रकबा हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेख में सहखातेदारों के नाम पर भूमिस्वामि हक में दर्ज है। भूमिस्वामि अपनी आपसी सहमति से पारिवारिक व्यवस्थानुसार बंटवारा कराना चाहते है । अतः म0प्र0भू0रा0स0 1959 यथा संशोधित 25 सितम्बर की धारा 178 के तहत हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा प्रतिवेदन के आधार पर सहखातेदारों के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है-

बटवारा पूर्व खाता						प्रस्तावित फर्द बटवारा निम्नानुसार है:-					
ग्राम का नाम एव प0ह0न0	क्र0	अभिलेख अनुसार खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा (हे0)	जमा	क्र 0	खातेदार का नाम/पिता का नाम	ख0 नं0	रकबा (हे0)	मे से रकबा (हे0)	जमा

हल्का पटवारी से फर्द बंटवारा प्रतिवेदन प्रदर्श पी1, पंचनामा पी2 आदेश का अंग होगा। आवेदक नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प शुल्क अदा करे। हल्का पटवारी आदेशानुसार रिकार्ड दुरुस्त करे पश्चात संशोधन खसरा नकल प्रकरण में संलग्न करे। पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दा0 द0 हो।

आदेश पारित एवं उद्घोषित।

-उभय पक्ष सूचित हो।

नायब तहसीलदार